



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लायज कॉरपोरेशन लि०,

"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२, पटना-८००००१

कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक ७१३८ दिनांक ३.९.२० द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में विभिन्न पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों पर स्थायी स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में कॉलम २ में अंकित अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम ७ में अंकित पद हेतु पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए अगले आदेश तक कॉलम ८ में अंकित स्थान के लिए पदस्थापित किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों को निदेश है कि वे पी०पी०ओ०/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ अविलम्ब पदस्थापित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने एवं सेवा निवृत्ति विभाग से प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा। मानदेय आदि का भुगतान पदस्थापन स्थान पर योगदान की तिथि से देय होगा।

क्र०	चयनित अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	सेवा निवृत्ति का कार्यालय	सेवा निवृत्ति पद	कोटि	पदनाम जिसके विरुद्ध चयन किया गया है।	पदस्थापित स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
१	श्री प्रमोद कुमार सिंह	पटना	केन्द्रीय विद्यालय दानापुर कैंट (दि०पाली)	सहा०अनुभाग अधिकारी	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद
२	श्री वेद प्रकाश	बेगूसराय	जिला उद्योग केन्द्र शेखपुरा, उद्योग विभाग, बिहार सरकार	उच्च वर्गीय लिपिक	पि०वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर
३	श्री विद्या सागर प्रसाद	पटना	बिस्कोमान, पटना	सहायक-सह-प्रशाखा पदाधिकारी	अ०पि०वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, बक्सर
४	श्री इन्द्र नारायण लाल कर्ण	दरभंगा	जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी	उच्चवर्गीय लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, सुपौल
५	श्री राजेन्द्र मुखिया	मधुबनी	योजना विकास विभाग, कार्यापालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्र०-२ शेरघाटी, गया	वरीय लेखा लिपिक	अ०पि०वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, अररिया
६	श्री सुरेन्द्र कुमार	जहानाबाद	बिहार स्टेट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि०, सासाराम इकाई	पत्राचार लिपिक	अ०पि०वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	परिवहन शाखा, राज्य खाद्य निगम मुख्यालय, पटना
७	श्री अरुण कुमार	जहानाबाद	बिहार राज्य वित्तीय निगम फेजर रोड, पटना	लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)
८	श्री श्यामदेव रविदास	कटिहार	बिहार राज्य खाद्य निगम, जिला प्रबंधक कार्यालय, अररिया, बिहार	सहायक	अनुसूचित जाति	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज
९	श्रीमती एलियाम्मा एम०सी०	केरला स्टेट	बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना।	लिपिक-सह-टंकक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	भंडारण शाखा राज्य खाद्य निगम मुख्यालय, पटना
१०	श्री रमा रमण सिंह	पटना	उद्योग विभाग(ह०एवं रेशम) के अधीन कार्यालय मफवरी प्रसार -सह-प्रशिक्षण केन्द्र कुमारबाग, बेतिया	लेखापाल-सह-लिपिक	पि०वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	टी०पी०डी०एस० शाखा राज्य खाद्य निगम मुख्यालय, पटना
११	श्री विनोद कुमार	बेतिया	जिला उद्योग, प० चम्पारण, बेतिया उद्योग विभाग, बिहार पटना	विपत्र लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)
१२	श्री मुकेश कुमार सिंह	पटना	Indian Navey	leading seaman X trade Logcitic	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, वैशाली
१३	श्री गुड्डु कुमार	पटना	INDIAN NAVY	Petty officerY trade	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा
१४	श्री जय प्रकाश गुप्ता	जहानाबाद	नौसेना	पेटी ऑफिसर / लॉजिस्टिक मेटेरियल	अ०पि०वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, मधुबनी
१५	श्री दिनेश कुमार	सारण	भारतीय वायु सेना	सी०पी०एल० कर्क जी०डी०	अ०पि०वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर
१६	श्री अमोद कुमार पंडित	वैशाली	भारतीय वायुसेना	साजेन्ट कर्क जी०डी	अ०पि०वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी

Handwritten signature/initials.

Handwritten date: 23.9.2020

क्र०	चयनित अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	सेवा निवृत्ति का कार्यालय	सेवा निवृत्ति पद	कोटि	पदनाम जिसके विरुद्ध चयन किया गया है।	पदस्थापित स्थान
17	श्री शेखर सिंह	पटना	भारतीय वायु सेना	सार्जेंट गुप एक्स	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, जमूई
18	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सारण	भारत संचार निगम लिमिटेड	कार्यालय अधीक्षक (सामान्य)	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, सिवान
19	श्री दिनेश कुमार सिंह	पटना	पर्यवेक्षक(सामग्री) भारत वैगन एण्ड ई0क0लि0. पटना	पर्यवेक्षक (मेटेरियल)	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर
20	श्री नयपाल जी पाण्डेय	भोजपुर (आरा)	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि0	टंकक - सह लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, रोहतास
21	मो0 सलीम अहसन	जहानाबाद	प्रखंड कार्यालय एरकी फरीदपुर, जहानाबाद	उच्च वर्गीय लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद
22	श्री सुरेन्द्र सिंह	पटना	पशू एवे मत्स संसाधन विभाग बिहार, पटना	निम्नवर्गीय लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, सहरसा
23	श्री अभिषेक कुमार	पटना	INDIAN NAVY, MUMBAI	पेटी ऑफिसर ट्रेड वाई	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, सारण
24	श्री धनन्जय कुमार	शेखपुरा	भारतीय नौसेना	LS(MACPP0) आफिस असिस्टेन्ट	अ0पि0वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	वित्त शाखा, राज्य खाद्य निगम मुख्यालय, पटना
25	श्री राजीव रंजन	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	भारतीय वायु सेना	सार्जेंट(क्लर्क जी0डी0	अ0पि0वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, बेतिया
26	श्री राज कुमार	पटना	आर्मी	हवलदार कर्लक जी0डी0 ACP	अ0पि0वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	प्रशासन शाखा, राज्य खाद्य निगम, पटना
27	श्री रामानन्द प्रसाद	पटना	स्वास्थ्य विभाग। फाइलेरिया नियंत्रण इकाई, पटना।	लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ
28	श्री कृष्णा कुमार राम	औरंगाबाद	जिला सामाजिक सुरक्षा, औरंगाबाद समाहरणालय, औरंगाबाद	प्रधान लिपिक	अनुसूचित जाति	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा
29	श्री बिन्दु प्रसाद	पटना	नेशनल इंशुरेन्स कम्पनी लि0, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	सहायक	अ0पि0वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, वैशाली
30	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह	नालन्दा	कार्यालय अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग(आयुष) राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पटना	कार्यालय अधीक्षक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, जमूई
31	श्री नवल किशोर सिंह	वैशाली	व्यवहार न्यायालय, सिवान	लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, सारण
32	श्री दिलीप कुमार सिंह	पटना	अंचल कार्यालय, नौबतपुर, पटना	उच्च वर्गीय लिपिक	पि0वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, नालन्दा
33	श्री नन्द कुमार मिश्र	गया	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल सं0-1, मुजफ्फरपुर	कनीय लेखा लिपिक	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, शेखपुरा
34	श्री उमेश प्रसाद सिंह	शेखपुरा	विस्कोमान	वरीय सहायक सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, नालन्दा
35	श्री अजित प्रसाद	नालन्दा	जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना	लिपिक	पि0वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, लखीसराय
36	श्री फहीम आलाम	पटना	भारतीय वायु सेना	सार्जेंट आई0ए0एफ0 जी0डी0	अ0पि0वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, कैमूर
37	श्री कमलेश्वर प्रसाद	पटना	फाइलेरिया नियंत्रण इकाई पटना पश्चिम दानापुर	लिपिक	अ0पि0वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, सीतामढी

शर्त :-

- अभ्यर्थियों की तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियोजित की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में अथवा सेवा निवृत्त कार्यालय से कोई प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होता है एवं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
- सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का भत्ता आदि देय नहीं होगा।

23/9/2020

नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में ननजुडिसिएल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाना आवश्यक होगा।

- (iv). सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.7.15 के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- (v). उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
- (vi). अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
- (vii). संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी एवं औपबंधिक होगा। जैसे ही रिक्ति के विरुद्ध नियमित नियुक्ति (यथा सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्ति) के उपरान्त पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मों की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (viii). इनके द्वारा भविष्य में की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत क्षति/गबन की वसूली उनके चल-अचल संपत्ति से की जायेगी।
- (ix). अनुबंध की समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुनर्नियोजित नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
- (x). इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत वसूलनीय होगी।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

उप महाप्रबंधक, प्रशासन

दिनांक - 23/9/2020

ज्ञापांक-3:02:222:01:2015 7670

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक/सतर्कता पदाधिकारी/विपत्र लिपिक/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर/कंट्रोल रूम प्रभारी को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप महाप्रबंधक, प्रशासन

23/9/20